

wooden houses reflect their fine age.

— 1 —

After many months after their move away from their original home, the family with their son moved into another house. This was a house in which several people had been living before them. There were two boys in the house, one of whom was the son of the previous owner. The boy was very friendly and kind to the family, and they soon became good friends.

1. what helped affect the change in you?	with family like this you would have dragon and demon stuff and that's the main reason that I'm
2. are there any new thoughts or ideas or feelings you had in the process of writing?	not
3. how/are many people are you ...	nothing changes, it's the
the writing, more like when we write we actually split our stories out there so...	we do it, it's just that there's no one else
4. anything interesting ...	nothing really nothing
5. who wrote all the ...	nothing with nothing
6. what did you like writing after you had and didn't like ...	more like an idea coming with paper work
7. would like other than writing what other art and at what age did you ...	not
8. what if that was writing what would and start you and of the ...	not
9. would like to know if the story is after with the one you ...	not
10. anything left out of	not

## **Answers from authors: Part 1**

### **Answers from authors: Part 2**

### **Answers from authors: Part 3**

#### **Authors' notes**

When all results were collected together there were three major themes that appeared across all studies on spatial cognition which it was felt were important to report. These are highlighted in this section and reflected in the paper of How & Li (2003) in which they believe that the past year research has shown it. These are outlined as follows:

- Authors believe children are very good at:

- using spatial memory/recalling previous locations  
and/or spatial part of the given problem

- using egocentric, relative or non-  
relative spatial knowledge to solve problems

- identifying likely locations for objects.

- utilising the process

- using different ways to

- move all items you can see, and  
not others off screen.

- moving objects from one place  
to another and not just one place.

- not using drawings of the places  
but moving them around.

- not drawing with pencil or

#### **Authors' notes: Part 2**

##### **Authors' notes**

Using spatial memory  
and/or spatial part of problem

**Memory**  
from authors' research

##### **Process**

Using egocentric  
spatial knowledge  
from authors' research

##### **Process**

##### **Process**

##### **Process**

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित रूपी के अनुसार होगा :—

1. उपर्युक्त अकृतिक प्रयोजन के लिए संचारित भूमि का उपयोग विहित प्राप्तिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये दिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर या ताज्य सरकार के नियम 14 के अन्तर्गत बदाई गई कालावधि के भीतर संचारित भूमि का उपयोग करने ने विकल रहता है तो अनुमति प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जना कराई गई दीक्षिका राति समाप्त हो जायेगी।
3. नियम-4 में तथा वर्तीत भूमि का उपयोग अकृतिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. प्रभागित युद्ध घट्ट विट के अनुसार इथिलेन रोड कारोबार द्वारा निर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार चढ़क से दूरी छोड़नी होगी।
5. संपुर्ण शासन संघिय, राजस्व (पुस्त-6) विभाग, राजस्वान सरकार के नीटिकालीन नियम 6/36(राजस्व 6/2014 / 33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियम 19 की की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृति प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राप्तिकारी से विधि मान्य अनुमति प्राप्त लिए दिना नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक को \_\_\_\_\_पेंड हटाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वह हटाये गए पेंड/पेंडो के बदले तीन गुना छायादार या राधन पेंड एक वर्ष के भीतर लगायेगा। यदि आवेदक इसमें असफल रहता है तो ₹ 500/- (पांच रुपी) प्रतिवर्ष, लगाने से शेष रहे पेंडों की संख्या के आधार पर जुर्माना राजस्व नद में प्रसूता पायेगा।
8. भू-स्वामित्व की जात का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग द्वारा होता है।
9. आवेदक को दिना आपति के प्रकरण से संबंधित आदेश या उल्लंघनों की पालना करनी होगी तथा यदि नविष्ट में कोई राति देय बगती हो तो जमा कराने के लिए बाल्य होगा।

उपर्युक्त संपरिवर्तन  
विभागीय  
शीकायत  
दीदाखर

कार्यालय-राजस्व/2017/12-65

दिनांक- 12/9/17

प्रतिलिपि निम्न दो सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिलिपि है—

1. तहसीलदार शीकायत
2. सरपंच, ग्राम पंचायत समिति शीकायत जिला भूल
3. आवेदक जलवीर नेतृत्वित विकास संस्थान उत्तरायण यारीपे अध्यक्ष रामकुमार माली पुत्र शीकायत जारी नियासी द्वारा साप्तहिक तहसील शीकायत जिला भूल

प्रतिलिपि दिनांक 12/9/17  
संस्थान (पंच)

उपर्युक्त संपरिवर्तन  
विभागीय  
शीकायत

प्रतिलिपि दिनांक 12/9/17  
संस्थान (पंच)

मुमिं वाले गाम सापडवा तहसील बीकासर जिला चूल में खेत खासरा लख्या 1705 / 1496  
तारीखी 2-04 बीघा म से भूमि तारीखी 2.00 बीघा भूमि का जिसको जसवीर गेहोरियल परिवक  
शिकान संस्थान सापडवा जलिये अध्यक्ष शाहजहार माली दुब्र भीकमचन्द जाति माली निवासी  
सापडवा तहसील बीकासर जिला चूल संस्थान प्रान्त जो ऐतिहासिक प्रयोजनाएँ हेतु संपरिवर्तन  
करवाना चाहते हैं

दस्तावेज़ : नं. 22 चूल  
करातल पुस्तकालय का 30/4/2008  
गवर्नर के द्वारा दिया गया है।

कठारी चारों

232.70

कठारी चारों  
की भूमि

234

234

कठारी चारों

232.70

कठारी चारों की भूमि

प्रह्लादिल संपरिवर्तन की चारों भूमि

उन्न.	कठारी	भूमि	प्रह्लादिल	उन्न.	पर्वतीर्थ
232.70	232.70	234	234	54451.60	50368.57

पर्वतीर्थ

दस्तावेज़ द्वारा  
कठारी चारों

सापडवा जिला कार्यालय  
बीकासर

कठारी चारों भूमि  
प्रह्लादिल संपरिवर्तन की चारों भूमि

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित रूपों के अन्तीम होगा—

1. उपर्युक्त अकृतिक प्रयोजन के लिए उपरिकृति भूमि का उपयोग विहित प्राप्तिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।
2. यदि अधेनक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विकल पहला है तो अनुमति प्रत्याहस कर तो जारी करा आदेशक द्वारा जब तारीख गई ग्रीष्मियम तक उपयोग हो जायेगी।
3. नियम-५ में यथा निर्दिष्ट भूमि का उपयोग अकृतिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. इण्डियन रोड कीप्रेस द्वारा निर्दिष्ट नामांकण के अनांगत सहक से दूरी छोड़नी होगी।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृति प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राप्तिकारी हो किये गए अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
6. भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार नामांकण विभाग को होगा।
7. आदेश को बिना आवश्यक न प्रकारण से संवित आदेश पर उक्त रूपों की पालना बनी होगी तथा यदि भविष्य में बोर्ड राष्ट्रीय बनती हो तो जब बनने के लिए बाध्य होना।

जिला कलेकटर,  
भूल

खातक प. 12 (1) (27) संजरद / 2008

दिनांक 13/2/9

प्रतिलिपि रूपनार्थ एवं पालनार्थ—

1. उपर्युक्त अधिकारी, सुजानगढ़
2. तहसीलदार, सुजानगढ़
3. सारपंथ, प्राप्त प्रधायत रामकृष्ण तहसील सुजानगढ़
- ✓ श्री सरदीर धनछाड़, संचिव जलसंचार गोपोरियल विभाग साधान रामकृष्ण तहसील सुजानगढ़ जिला भूल।
5. चिलेट प्रधानी।

३६१  
जिला कलेकटर,  
भूल